

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./विज्ञप्ति/2013/334

दिनांक: 30/4/13

विज्ञप्ति

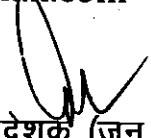
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट घोषणा में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर चिकित्सा सुविधा उपेक्षाकृत कम हैं वहां निजी चिकित्सालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना प्रस्तावित है जिसका विवरण निम्नप्रकार है:-

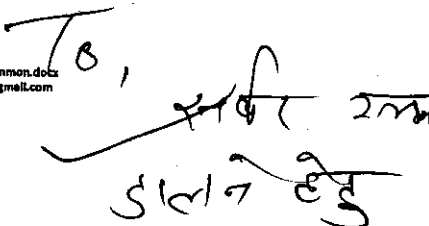
- समतल क्षेत्र में प्रत्येक तहसील में एक निजी चिकित्सालय स्थापित करने हेतु न्यूनतम लागत एक करोड़ रुपये में से 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जावेगा। जिसकी अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये होगी।
- जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में तहसील में दो निजी चिकित्सालय स्थापित करने हेतु न्यूनतम लागत एक करोड़ रुपये में से 60 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जावेगा। जिसकी अधिकतम सीमा 1.20 करोड़ रुपये होगी।
- उक्त योजना के अन्तर्गत इच्छुक चिकित्सकों द्वारा निजी चिकित्सालय स्थापित करने के सुझाव व प्रस्ताव दिनांक: 09.05.2013 समय प्रातः 11:00 बजे "स्वास्थ्य भवन" के कान्फ्रेंस हॉल, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राज0 जयपुर में आमंत्रित हैं।

अधिक जानकारी हेतु:-संयुक्त निदेशक(चि0प्र0): 9413923136 एवं

0141-2228728, 2229858

ई-मेल आई डी: <addtiha@gmail.com>


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

To,  सचिव राज0 की निम्नलिखित सूची पर
दिलाने हेतु